न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 04/2019(प्राथमिक डिक्री)
अपीलांट

पेमाराम पुत्र श्री सवाजी जाति कुम्हार उम्र 85 वर्ष निवासी आकेली तहसील व जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. श्री कुपाराम पुत्र सवाजी जाति कुम्हार उम्र 75 वर्ष निवासी आकेली तहसील व जिला पाली
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील संख्या : 40/2020(अंतिम डिक्री)
अपीलांट

पेमाराम पुत्र श्री सवाजी जाति कुम्हार उम्र 85 वर्ष निवासी आकेली तहसील व जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. श्री कुपाराम पुत्र सवाजी जाति कुम्हार उम्र 75 वर्ष निवासी आकेली तहसील व जिला पाली
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र कुमार व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 18/09/20

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर पाली द्वारा प्रकरण संख्या 02/2014 बउनवान कुपाराम बनाम पेमाराम व अन्य में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2019 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2020 को अपास्त कराने का निवेदन किया। म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद पाली तहसील के मौजा ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादडा, भू–अभिलेख निरीक्षक खेरवा के खसरा नंबर 58/1 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा के संबध प्रस्तुत कर उक्त आराजी का बंटवाडा कराने हेतु निवेदन किया साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10. 2019 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2020 पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 सगे भाई है। एवं वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की सामलाती आराजी है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अर्से दराज से अपनी अपनी भूमि आपसी सहमति से बंटवारा कर कृषि कार्य करते आ रहे है। अपीलांट की कब्जाशुदा आराजी पर उसका एक कुआ भी बना हुआ है, जिसका उपयोग–उपभोग अपीलांट द्वारा किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित करते समय न तो अपीलांट को आपत्ति प्रस्तुत करने के संबध में कोई नोटिस जारी किये एवं न ही किसी प्रकार से तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव के संबध में कोई विवेचन किया गया। तहसीलदार पाली ने प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार नहीं किया गया एवं न ही मौके की सही स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव केवल मात्र राजस्व कर्मचारियो द्वारा तैयार मौका व विभाजन रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर तैयार किया गया। अपीलांट को मौका निरीक्षण से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया। तहसीलदार द्वारा माननीय राजस्व मंडल के नियम के 18 से 21 के प्रावधानो अनदेखा करते हुए मौका रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद पाली तहसील के मौजा ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादडा, भू–अभिलेख निरीक्षक खेरवा के खसरा नंबर 58/1 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा के संबध प्रस्तुत कर उक्त आराजी का बंटवाडा कराने हेतु निवेदन किया साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10. 2019 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2020 पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट यानि प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलांट की ओर से वकील श्री मनोहर दास वैष्णव द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, उसके पश्चात पत्रावली वास्ते जवाबदावा निरन्तर पेशियो मे नियत रही। उसके पश्चात दिनांक 11.07.2015 को अपीलांट एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

उनके अधिवक्ता को न्यायालय की आरे से बार–बार आवाजे लगाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाये जाने का आदेश पारित कर प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई एवं उसके पश्चात प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर अंतिम जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया किन्तु अपीलांट प्रकरण की जानकारी होते हुए जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट वादग्रस्त आराजी पर मौके अनुसार माननीय राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पूर्णतया विधिवत पालना करते हुए तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद पाली तहसील के मौजा ग्राम उतवण, पटवार क्षेत्र बोमादडा, भू–अभिलेख निरीक्षक खेरवा के खसरा नंबर 58/1 रकबा 17 बीघा 6 बिस्वा के संबध प्रस्तुत कर उक्त आराजी का बंटवाडा कराने हेतु निवेदन किया साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2019 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.02.2020 पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट यानि प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलांट की ओर से वकील श्री मनोहर दास वैष्णव द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, जिससे प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट जानबूझकर उपस्थित नहीं आया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक को अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया जाकर विधिसम्मत तरीके से जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इसके अतिरिक्त जहां तक मौका रिपोर्ट का प्रश्न है तो मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट माननीय राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। अधीनस्थ न्यायलय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व डिक्री में राजस्व मंडल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिवत रूप से पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 04/2019 एवं 40/2020 बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। एवं सहायक कलक्टर पाली द्वारा प्रकरण संख्या 02/2014 बउनवान कुपाराम बनाम पेमाराम व अन्य में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2019 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

10.02.2020 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। मूल निर्णय की प्रति संबधित प्रकरण संख्या 04/2019 के साथ संलग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 18/09/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली